तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5/2006/भरतपुर देवीराम बनाम सत्यवीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रार्थी।
श्रीमती ज्योति पारीक, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

निर्णय
दिनांकः– 17–12–2019

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 14–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रार्थी ने दिनांक 01–12–2000 को एक प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री की इजराय करने बाबत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में न्यायालय ने आदेश दिनांक 01–12–2000 द्वारा हाल खसरा संख्या 2769/0–91 में से सरबती बेवा चतुर्भज के नाम 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज है, उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर यह आराजी देवीराम पुत्र टोडर फौजदार निवासी अवार के नाम खातेदारी स्वीकार की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 14–12–2005 द्वारा स्वीकार करते हुए सहायक जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 01–12–2000 को अपास्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–12–2005 से व्यथित होकर प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5/2006/भरतपुर देवीराम बनाम सत्यवीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने योग्य अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस निगरानी के संबंध में सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं होने के कारण अपास्त करने का निवेदन किया। उनका कहना है कि मामले में सहायक जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री इजराय में पारित निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष नियमानुसार निगरानी पेश किए जाना प्रावधित है। जबकि हस्तगत मामले में अप्रार्थीगण ने ऐसे आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है, जो कि विधिक प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं थी। अतः आक्षेपित निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–12–2005 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। उनका कहना है कि अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के तहत आक्षेपित निर्णय पारित करने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने के अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली तथा आक्षेपित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सहायक जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5/2006/भरतपुर देवीराम बनाम सत्यवीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 13/1998 बउनवान देवीराम बनाम सरबती बाबत डिक्री की ईजराय करने बाबत न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में सहायक जिला कलक्टर ने आदेश दिनांक 01–12–2000 इस आशय के साथ पारित किया कि हाल खसरा संख्या 2769/0–91 में से सरबती बेवा चतुर्भज के नाम 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज है, उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर यह आराजी देवीराम पुत्र टोडर फौजदार निवासी अवार के नाम खातेदारी स्वीकार की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय द्वारा स्वीकार कर तहत न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया। –1992 आरआरडी 205 में माननीय राजस्व मण्डल ने निम्नांकित व्यवस्था दी हैः– "Section 235 - III Schedule - Item 83 provides only for an application for excecution of decree as in the case of a civil court decree - It does not provide for an appeal etc. - Section 104 of the C.P.C. does not provide an appeal against an order passed in execution proceedings," हस्तगत मामले में सहायक जिला कलक्टर भरतपुर ने अपना निर्णय दिनांक 01–12–2000 को पारित किया है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध केवल मण्डल के समक्ष निगरानी ही संधारण योग्य है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में सहायक जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने के कारण उक्त अपील विधिक प्रावधानों के विपरीत पेश किए जाने से पोषणीय ही नहीं थी। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में चूँकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा पेश अपील संधारण योग्य नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5/2006/भरतपुर देवीराम बनाम सत्यवीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रस्तुत निगरानी में विधि का उपचार उपलब्ध होने के कारण इसे स्वीकार किया जाकर आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 14–12–2005 को अपास्त किया जाता है। न्यायहित में अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि मामले में सहायक जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध मण्डल के समक्ष नियमानुसार निगरानी पेश कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5/2006/भरतपुर देवीराम बनाम सत्यवीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए